भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2187
दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि

2187. श्री मद्दीला गुरूमूर्तिः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इन्हें मानदेय के अलावा अलग से लाभ निर्दिष्ट करने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (घ) भारत सरकार समय-समय पर आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाती है। 1 अक्टूबर, 2018 से, भारत सरकार ने मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय 3,000/- रुपये से बढ़ाकर 4,500/- रुपये प्रति माह; लघ-आंगनवाड़ी केंद्रों की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 2,250/- रुपये से बढाकर 3,500/-रुपये प्रति माह; आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 1,500/- रुपये से बढ़ाकर. 2,250/- रुपये प्रति माह कर दिया है; और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए प्रति माह 250/- रुपये और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए 500/- रुपये की निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की शुरुआत की है। इसके साथ ही, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र अपने स्वयं के संसाधनों से इन पदाधिकारियों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/मानदेय का भुगतान भी कर रहे हैं, जो अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न है। वर्तमान में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने की दृष्टि से, निम्नलिखित सहित विभिन्न कदम उठाए गए हैं/पहल की गई हैं:

(i) **पदोन्नति:** मंत्रालय द्वारा जारी सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 दिशानिर्देशों के अनुसार, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पद 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त आंगनवाड़ी सहायिकाओं की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे और पर्यवेक्षकों के 50% पद 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे, बशर्ते कि अन्य मानदंड पूरे हों।

(ii) **अवकाश:** आंगनवाड़ी कार्यकत्रिरयों को मातृत्व अवकाश के लिए 180 दिनों की सवेतन अवकाश, गर्भपात/ मिस्कैरिज पर एक बार 45 दिनों के लिए सवैतनिक अवकाश का प्रावधान है। साथ ही, 20 दिन का वार्षिक अवकाश भी अनुमन्य हैं।

(iii) **वर्दी:** आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों /आंगनवाड़ी सहायिकाओं को दो वर्दी (साड़ी/सूट प्रति वर्ष) देने का प्रावधान है।

(iv) **सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं:** आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत 18 से 50 वर्ष के आयु समूह की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये (जीवन जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु को कवर) के जीवन कवर का लाभ और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18-59 वर्ष की आयु समूह की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये (आकास्मिक मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता)/1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता) के लिए आकस्मिक कवर के लिए बीमा लाभ प्रदान किए गए हैं।

जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं पीएमजेजेबीवाई या पीएमएसबीवाई के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, उन्हें अनुग्रह राहत राशि के रूप में समान राशि प्रदान की जाती है।

अब, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को उनके बैंक खातों के माध्यम से पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत बीमा कवर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है और आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत निर्धारित लागत सहभाजन अनुपात के अनुसार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को प्रीमियम भुगतान के लिए निधियां निर्गत की जाती हैं।

(v) **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा कवर:** आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं जो कोविड-19 संबंधित कार्यों में लगी हुई हैं, को कुछ शर्तों के साथ "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज" के तहत 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया गया है।

(vi) **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम):** राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/ आंगनाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के तहत नामांकित होने के लिए प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया गया है, जो वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में असंगठित क्षेत्रों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।

(vii) **सेवानिवृत्ति की तारीख:** उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के संबंध में सेवानिवृत्ति की एक समान तारीख यानी प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रैल को अपनाने का अनुरोध किया गया है।

(viii) सरकार ने लघु-आंगनवाड़ी केन्द्रों को नियमित आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नयन करने के आदेश जारी किए हैं। इसके कारण, मौजूदा लघु-आंगनवाड़ी केन्द्रों की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 4,500/- रुपये प्रति माह तक बढ़ गया है।

******

अनुलग्नक-

'आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के मानदेय में वृद्धि' पर दिनांक 15.12.2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2187 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

<u>राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को दिए गए अतिरिक्त मानदेय को दर्शाने वाला विवरण</u>

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिया गया अतिरिक्त मानदेय	
		आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री (एडब्ल्यूडब्ल्यू)	आंगनवाड़ी सहायिका एडब्ल्यूएच)
1.	अंडमान और निकोबार	3000	2500
2.	आंध्र प्रदेश	7000	4750
3.	अरुणाचल प्रदेश	**शून्य**	**शून्य**
4.	असम	2000	1000
5.	बिहार	1450	725
6.	चंडीगढ़	3600	1800
7.	छत्तीसगढ़	2000	1000
8.	दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	1000	600
9.	दिल्ली	5178	2589
10.	गोवा	5500-13500*	3750-6750*
11.	गुजरात	5500	3250
12.	हरियाणा	7286-8429*	4215
13.	हिमाचल प्रदेश	4600	2450
14.	जम्मू एवं कश्मीर	600	340
15.	झारखंड	5000	2500
16.	कर्नाटक	6500-7000*	4000-4500*
17.	केरल	2000	2000
18.	लक्षद्वीप	5500	4750
19.	मध्य प्रदेश	7000	3500
20.	महाराष्ट्र	3825	2175
21.	मणिपुर	1000	600
22.	मेघालय	1500	1000

23.	ओडिशा	1000	500
24.	पुद्दुचेरी	600	300
25.	पंजाब	5000	2850
26.	राजस्थान	3891-4030*	2640
27.	सिक्किम	2225	1500
28.	उत्तराखंड	3000	1500
29.	पश्चिम बंगाल	3750	4050
30.	उत्तर प्रदेश	1500	750
31.	नगालैंड	Nil	Nil
32.	मिजोरम	450	500
33.	तमिलनाडु	3200-19700*	1850-10250*
34.	तेलंगाना	9150	5550
35.	त्रिपुरा	150-5346*	93-3518*
36.	लद्दाख	1300	650

*** अर्हता और/या सेवा के वर्षों की संख्या पर निर्भर करता है**

******